



झारखण्ड ग्रामोण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
नामकुम, राँची-834010
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 21.03.2015 को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता के० विद्यासागर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड के द्वारा किया गया। इस बैठक में राहुल शर्मा, सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड, आशीष सिंहमार, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड, डा० सुमन्त मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखंड, श्री रामकुमार सिन्हा, सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, एवं डा० ए० के० चौधारी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ झारखंड, डा० अजीत कुमार प्रसाद, उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ तथा परामर्शी/समन्वयक तथा अन्य पदाधिकारी ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि असाध्य रोगों के लाभुको के लिए, जिला स्तर पर उपायुक्त के अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राशि का स्थानान्तरण संबंधित अस्पताल को किया जाय जिससे कार्यो में तेजी आ सके।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगो में जागरूकता लाने तथा पूरी जानकारी के लिए असाध्य रोगों के संबंध में आई० ई० सी०/बी० सी० सी० के माध्यम स प्रचार-प्रसार के कार्यो में तेजी लाई जाय, जिससे गरीबी रेखा से नीचे लोगो को इस संबंध में जानकारी मिल सक। उन्होंने लंबित डी० सी० बिल का ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिये। लोगो में जागरूकता लाने के लिए रेडिया तथा एफ० एम० पर प्रचार प्रसार कराने का निदेश दिया गया। असाध्य रागां को जानकारी के लिए जिला अस्पताल तथा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में Display Board बनाने का निर्देश दिए।

राज्य में असाध्य रोगो पर हो रहे खर्च की जानकारी स्पष्ट करने के लिये ससमय संबंधित अस्पताल को व्यय विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिये। उन्होंने इस संबंध में असाध्य रोगो के संबंध में उपलब्ध बाधाआ को दूर करने के लिये सप्ताहिक बैठक कर उसका निष्पादन करने का निदेश दिये। प्रधान सचिव ने

कहा कि दिया कि 72000/ (बहतर हजार) आय तक वाले लाभुक ही इस योजना के अन्तगत लाभान्वित होंगे।
लाभुक को अधिकतम 250000/ (दो लाख पचास हजार) का इस योजना में लाभ दी जायेगी।

इस बैठक में सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के Hospital Empanelment तथा Important Packages के बारे में बताये, साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा असाध्य रोग योजना के समानता तथा अन्तर के बारे में विस्तार से जानकारी दियें।



नोडल ऑफिसर

आई० ई० सी० कोषांग